

ORDINANCE XV-B Maintenance of discipline among Students of the University

1. All powers relating to discipline and disciplinary action are vested in the Vice - Chancellor.
2. The Vice-Chancellor may delegate all or such powers as he/she deems proper to the Proctor and to such other persons as he/she may specify in this behalf.
3. Without prejudice to the generality of power to enforce discipline under the Ordinance the following shall amount to acts of gross indiscipline:
 - a. Physical assault, or threat to use physical force, against any member of the teaching and nonteaching staff of any Institution/Department and against any student within the University of Delhi
 - b. Carrying of, use of or threat to use of any weapons
 - c. Any violation of the provisions of the Civil Rights Protection Act, 1976
 - d. Violation of the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and tribes
 - e. Any practice-whether verbal or otherwise-derogatory of women
 - f. Any attempt at bribing or corruption in any manner
 - g. Willful destruction of institutional property
 - h. Creating ill-will or intolerance on religious or communal grounds
 - i. Causing disruption in any manner of the academic functioning of the University system;
 - j. Prohibition of Ragging as per Ordinance XV-C.
4. Without prejudice to the generality of his/her powers relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as may seem to him/her appropriate, the Vice-Chancellor, may in the exercise of his/her powers aforesaid order or direct that any student or students -
 - a. be expelled;
 - b. be, for a stated period rusticated; or c.
 - c. be not for a stated period, admitted to a course or courses of study in a College, Department or Institution of the University; or
 - d. be fined with a sum of rupees that may be specified; or
 - e. be debarred from taking a University or College or Departmental Examination or Examinations for one or more years; or
 - f. that the result of the student or students concerned in the Examination or Examinations in which he/she or they have appeared be cancelled.
5. The Principals of the Colleges, Heads of the Halls, Deans of Faculties, Heads of Teaching Departments in the University, the Principal, School of Open Learning and Librarians shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over students in their respective Colleges, Institutions, Faculties and Teaching Departments in the University as may be necessary for the proper conduct of the Institutions, Halls and teaching in the concerned Departments. They may exercise their authority through, or delegate authority to such of the teachers in their Colleges, Institutions or Departments as they may specify for these purposes.
6. Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor and the Proctor as aforesaid, detailed rules of discipline and proper conduct shall be framed.

These rules may be supplemented, where necessary, by the Principals of Colleges, Heads of Halls, Deans of Faculties and Heads of Teaching Departments in this University. Each student shall be expected provide himself/herself with a copy of these rules..

At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration that on admission he/she submits himself/herself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and several authorities of the University who may be vested with the authority to exercise discipline under the Acts, the Statutes, the Ordinances and the rules that have been framed therein by the University.

महाविद्यालय में अनुशासन- अध्यादेश-XV-B

1. अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियों कुलपति के पास है।
2. कुलपति ऐसी शक्तियाँ या ऐसी शक्तियाँ जिन्हें ये उचित समझते/ समझती है, प्रॉक्टर और ऐसी अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें वे अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करते हैं को प्रत्यायोजित कर सकते/सकती है।
3. इस अध्यादेश के अन्तर्गत अनुशासन लागू करने की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न कृत्यों को घोर अनुशासहीनता माना जाएगा :
 - क. दिल्ली विश्वविद्यालय की किसी संस्था / विभाग के किसी भी शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कर्मचारियों और किसी भी छात्र के विरुद्ध शारीरिक हमला या शारीरिक बल का प्रयोग करने की धमकी देना।
 - ख. कोई हथियार रखना उसका प्रयोग करना या उसका प्रयोग करने की धमकी देना।
 - ग. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों किसी भी प्रकार से उल्लंघन।
 - घ. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के स्तर गरिमा और सम्मान को ठेस पहुँचाना।
 - ङ. महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग या उन्हें अपमानित करने वाला कोई कृत्य।
 - च. रिश्त देने का कोई भी प्रयास या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार
 - छ. संस्थागत संपत्ति को जानबूझकर नष्ट करना
 - ज. धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर द्वेष या असहिष्णुता पैदा करना।
 - झ. विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक कार्यकरण में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करना।
 - ञ. अध्यादेश- XV-C के अनुसार रैगिंग का निषेध
4. कुलपति अनुशासन बनाए रखने की अपनी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसी कार्रवाई सकते है/ सकती है जो उन्हें उचित लगती है, वे अपनी उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश या निर्देश दे सकते है/ सकती है कि किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को-
 - क. निष्कासित कर दिया जाए,
 - ख. घोषित अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाए, या
 - ग. घोषित अवधि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज विभाग या संस्था किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश न दिया जाए; या
 - घ. निर्दिष्ट राशि का जुर्माना लगाया जाए या
 - ङ. एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभागीय परीक्षा देने से वंचित किया जाए या
 - च. संबंधित विद्यार्थी के उस परीक्षा परिणाम / उन परीक्षा परिणामों को रद्द कर दिया जाए जो उसने दी है।
5. विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के प्राचार्यों हॉल्स के प्रभारी, सभी अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राचार्य स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और पुस्तकालयाध्यक्षों को अपने-अपने महाविद्यालयों संस्थाओं ,संकायों और शैक्षणिक विभागों में ऐसी सभी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा जो संस्थाओं, हॉल्स और संबंधित विभाग में शिक्षण कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। वे अपने इस अधिकार प्रयोग के माध्यम से या अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं या विभागों के ऐसे शिक्षकों को शक्ति प्रत्यायोजित कर सकते हैं जिन्हें वे इन प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट करते हैं।
6. कुलपति और प्रॉक्टर की उपरोक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुशासन और उचित आचरण के लिए विस्तृत नियम बनाए जाएँ।
इन नियमों का जहाँ भी आवश्यक हो, महाविद्यालयों के प्राचार्यों हॉल्स के प्रभारी सभी अधिष्ठाताओं, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा अनुपूरण किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी से आशा की जाती है कि वह इन नियमों की प्रति प्राप्त करें।
प्रवेश के समय, प्रत्येक विद्यार्थी को घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे कि प्रवेश दिए जाने पर वह स्वयं को कुलपति और विश्वविद्यालय के अनेक अधिकारियों, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों और नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार सौंपा गया है. के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत करता है।